झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
भूतल, एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

।। आदेश ।।

आ०सं०–परि०आ०–674/2018 918 /राँची,दिनांक 27.08.2021

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–63 से 73 तक के प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजनार्थ Authorised Fitness Centre के विनियमन एवं नियंत्रण तथा उनके कार्य संचालन की प्रक्रिया निर्धारित करने के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त की गई है। उक्त परामर्श के आलोक में परिवहन यानों के फिटनेस जाँच एवं दुरूस्ती प्रमाण–पत्र निर्गमण हेतु निम्नवत दिशा–निर्देश निर्धारित किया जाता है :–

(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–56 के तहत परिवहन यानों के दुरूस्ती प्रमाण–पत्र निर्गमण हेतु निम्न प्रावधान किये गये हैः–

"Certificate of fitness of transport vehicles.-(1) Subject to the provisions of sections 59 and 60. A transport vehicle shall not be deeped to be validly registered for the purposes of section 39, unless it carries a certificate of fitness in such form containing such particulars and information as may be prescribed by the Central Government, issued by the prescribed authority, or by an authorised testing station mentioned in sub-section (2), to the effect that the vehicle complies for the time being with all the requirements of this Act and the rules made thereunder.

Provided that where the prescribed authority or the authorised testing station refuses to issue such certificate, it shall supply the owner of the vehicle with its reasons in writing for such refusal.

Provided further that no certificate of fitness shall be granted to a vehicle, after such date as may be notified by the Central Government, unless such vehicle has been tested at an automated testing station.

(2) The "authorised testing station" referred to in sub-section (1) means a vehicle service station or public or private garage which the State Government, having regard to the experience, training and ability of the operator of such station or garage and the testing equipment and the testing personnel therein, may specify in accordance with the rules made by the Central Government for regulation and control of such stations or garages."

इसके अतिरिक्त झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम–51 के अनुसार उपरोक्त के संबंध में निम्न प्रावधान किये गये है :–

"Certificate of fitness may be issued or renewed by Motor Vehicles Inspector or authorised testing station, subject to the general control and direction of the appropriate Registering Authority. Application for issue or renewal of certicate of fitness shall be made in Form C.F.A. under the Jharkhand Motor Vehicles Rules, 2001."

उक्त के संबंध में माननीय विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न परामर्श दिये गये है :–

"It Can thus be seen that issuance and renewal of certificate of fitness is made both by MVI as well as by authorized testing stations."

परिवहन यानों के फिटनेस जाँच एवं दुरूस्ती प्रमाण–पत्र निर्गमण के संबंध में प्राप्त परामर्श के आलोक में झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में समान रूप से एक प्रावधान लागू करने के निमित्त यह निर्णय लिया गया है कि वाहन स्वामी अपने सुविधानुसार परिवहन यानों के फिटनेस जाँच एवं दुरूस्ती प्रमाण पत्र हेतु अपने जिले के मोटरयान निरीक्षक अथवा Authorised Testing Station के पास आवेदन दे सकते है तथा उनके द्वारा इस संबंध में स्थापित नियमों के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

D:\D-Drive\Letter\Karyalaya Adesh.docx

(2) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–63 के प्रावधान के आलोक में Authorised Testing Station के स्थापना हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–56 के तहत् परिवहन यानों के दुरूस्ती प्रमाण–पत्र निर्गमण एवं नवीकरण हेतु निबंधन प्राधिकारी द्वारा फार्म–39 में प्राधिकरण पत्र स्वीकृत करने की शक्ति प्रदत्त है।

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–62 के अंतर्गत परिवहन यानों के फिटनेस जाँच हेतु कुल–20 मापदण्ड निर्धारित है। परिवहन यानों के गुणवत्तापूर्ण फिटनेस जाँच के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा निम्न परामर्श दिये गये है :–

"In the test prescribed under Rule 62 there are as many as 20 tests and not all tests are carried out by Authorized Automatic Fitness Centre and such inspection and investigation has to be carried out physically by an authorized inspecting officer who can only be a MVI duly appointed under section 213 of the Motor Vehicle Act."

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–63 के तहत स्थापित Authorised Testing Station पर प्रभावकारी नियंत्रण एवं वाहनों के गुणवत्तापूर्ण फिटनेस जाँच के उद्देश्य से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा Civil Appeal No.-1852/2009 में दिनांक–09.03.2011 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

"In our opinion the State Government has power to issue such a direction under Section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (for short "the Act") read with Section 213 of the Act. In fact, this provision is Statutory measure in order to keep a check on the authorized testing stations so that they may not for extraneous purposes grant certificates of fitness even in those cases where the vehicles are not fit to ply. If the authorized testing stations go unchecked, then ultimately it would not endanger safety of passengers but also the public at large may suffer e.g. by accidents."

उपरोक्त तथ्यों के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा निम्न परामर्श दिये गये है :–

" In view of the order of the Hon'ble Supreme Court as quoted herein above, the certificate of fitness issued by Authorized Testing Station should contain the counter signature of the MVI."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश एवं विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में Authorised Testing Station पर प्रभावकारी नियंत्रण एवं वाहनों के गुणवत्तापूर्ण फिटनेस जाँच हेतु यह निर्णय लिया गया है कि Authorised Testing Station के द्वारा निर्गत किये जाने वाले दुरूस्ती प्रमाण–पत्र पर संबंधित जिले के मोटरयान निरीक्षक से प्रतिहस्ताक्षर कराना आवश्यक होगा। मोटरयान निरीक्षक के प्रतिहस्ताक्षर के बिना दुरूस्ती प्रमाण–पत्र वैध नहीं माना जायेगा।

अतः सभी संबंधितों को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निर्णयों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

प्रस्ताव पर माननीय मंत्री (परिवहन) का अनुमोदन प्राप्त है।

24/08/2021

संयुक्त परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।

D:\D-Drive\Letter\Karyalaya Adesh.docx

ज्ञापांक– परि०आ०–674/2018 918 /राँची,दिनांक 27.08.2021

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, राँची/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/सभी Authorised Testing Station के प्रोपराईटर/पी०एम०यू०, परिवहन विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/2021

संयुक्त परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।

D:\D-Drive\Letter\Karyalaya Adesh.docx